

23/07/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण
दाखिल नहीं। वकील वादीगण को आवान
लगाई गयी। स्वयं वादीगण को आवान
लगाई गयी। दाजिर नहीं हैं। लिहाजा
वाड-पत्र वादीगण वकील वादीगण की
अफम दाजरी - अफम पेशी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली के सल्ले में इमार हमर
दाखिल फरमाए है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर